कार्यालय, जिला परिषद, खगड़िया।

—: सैरात बन्दोबस्ती हेतू आम सूचना :—

सर्व—साधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि निदेशक, भू—अर्जन—सह—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र पत्रांक—9/सै0—01—मार्गदर्शन—बाँका—07/2021—193(9)/रा0, पटना, दिनांक—03.08.2021 एवं समाहर्त्ता, खगड़िया के पत्रांक—2139/रा0, दिनांक—11.10.2021 के आलोक में ऐसे सैरात जिनकी वर्ष—2018—19 अथवा उससे पूर्व से विभागीय वसूली हो रही है के संबंध में सैरातों को हर हाल में बंदोवस्त करने का निदेश संसूचित है।

समाहर्त्ता महोदय, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक—903/रा0, दिनांक—02.05.2020 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन अंतरजिला एवं अंतर्राज्जीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को छोड़कर शेष अन्य सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन, नियंत्रण एवं अनुरक्षण का दायित्व पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं यथा—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को बंदोवस्ती की शक्ति के साथ से हस्तान्तरित किया गया है। जिला परिषद् को मो0—5,00,000/—(पाँच लाख) तक बंदोवस्ती की शक्ति प्रदान की गयी है। *जिला परिषद् को हस्तान्तरित निम्नलिखित सैरातों की* बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष—2021—22 के लिए खुली डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट, कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया में अपराह्न—03:30 बजे की जायेगी। प्रथम निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय तिथि को निर्धारित किया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो अगले प्रत्येक कार्य दिवस में सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। अंचल, सैरात का नाम, सुरक्षित जमा एवं निर्धारण तिथि का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सिरिज	सुरक्षित जमा	डाक की निर्धारित तिथि		
					प्रथम	द्वितीय	तृतीय
01	अलौली	फुलतोड़ा घाट किल्ली गड़ाई	अक्टूबर श्रेणी	2,09,881/—	08.11.2021	18.11.2021	20.11.2021
02	खगड़िया	गंडक नदी औलापुर	अक्टूबर श्रेणी	1,85,150/—			
03	गोगरी	कमरी घाट	अक्टूबर श्रेणी	1,43,750/—			
04	चौथम	नवादा घाट	अक्टूबर श्रेणी	2,43,340/—			
05	गोगरी	महेशखूँट झिकटिया हाट	अप्रैल श्रेणी	4,24,600/—			
06	बेलदौर	बेलदौर हाट	अप्रैल श्रेणी	1,35,550/—			

उपरोक्त सैरात की बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित शर्त्त निम्नवत् है :—

1. उपरोक्त प्रत्येक सैरात का सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत रूपया जमानत की राशि कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया में जमा कर, नाजिर रसीद प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खुली डाक में छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. इच्छुक डाक वक्ता को नाव का स्वामित्व प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यंत्र विहिन हो तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया में निबंधित हो एवं मोटरयान निरीक्षण द्वारा प्रमाणित हो।
3. इच्छुक डाक वक्ता को अपनी सम्पत्ति एवं उनके मूल्यांकन से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र एवं अद्यतन आय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
4. सार्वजनिक फेरी सेवा का बकाया नहीं रहने से संबंधित जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
5. इच्छुक डाक वक्ता के द्वारा समर्पित की गयी कोई भी विवरणी अथवा प्रमाण पत्र जाली/गलत पाया गया तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा जमानत स्वरूप जमा की गयी राशि को जप्त कर लिया जायेगा।
6. नाव यातायात सहयोग समिति डाक में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें जिला सहकारिता पदाधिकारी या अन्य सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।

7. सफल डाक वक्ता को डाक की समाप्ति के तुरंत बाद उसी दिन डाक की पूरी राशि निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क एकमुश्त कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया में जमा करना होगा।
8. सफल डाक वक्ता को डाक की तिथि से सात दिनों के अन्दर यंत्र विहिन नौका अपेक्षित संख्या में भौतिक निरीक्षण हेतु घाट पर प्रस्तुत करना होगा। यदि वे इसमें असफल होते है तो उनकी बंदोबस्ती को रद्द करते हुए उनकी जमानत की राशि को जप्त किया जा सकता है।
9. परवाना प्राप्ति करने के पूर्व उन्हें एकरारनामा को निबंधित एवं क्रियान्वित कराना होगा।
10. सफल उम्मीदवार निर्धारित शर्त्तों को मानने के लिए बाध्य होगें और किसी भी शर्त्त का उल्लंघन होने पर बन्दोबस्ती को समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी पूरी राशि या उसका अंश जिलस अधोहस्ताक्षरी उचित समझेंगे, जप्त की जायेगी।
11. साधारणतया सर्वोच्च डाक वक्ता को स्वीकार किया जायेगा, लेकिन लिखित रूप में बिना कारण बताये सर्वोच्च डाक को स्वीकार न कर किसी दूसरे डाक को स्वीकार करने या बन्दोबस्ती को समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. बन्दोबस्ती की अन्य शर्त्तो की जानकारी कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट एवं Website :- www.Khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
13. सैरातों के बन्दोबस्ती को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह० —

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ज़िला परिषद्, खगड़िया।

ज्ञापांक– 1183 / दिनांक– 20/10/2021

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया जिला को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार–प्रसार हेतु एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। सभी अंचलाधिकारी, खगड़िया जिला बस पड़ाव, हाट बाजार एवं मेला के जगहों पर डुगडुगी बजवाकर प्रचार–प्रसार करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जन सम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर दो दैनिक समाचार पत्रों में सैरातों की बंदोबस्ती संबंधित आम सूचना अविलंब प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा पेपर का कतरन कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सैरात बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला अभियंता, जिला परिषद्, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, खगड़िया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, प्रमंडल को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20/10/21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, खगड़िया।